दूर तक निगाहों में हैं गुल खिले हुए… राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन फूलों की 70 तरह की किस्मों से पर्यटको को लुभाने को तैयार है। छह से नौ फरवरी तक सुबह साढ़े नौ बजे से शाम चार बजे तक बाग में आए इस बहार का लुत्फ उठाया जा सकता है। फोटो : आरुष चोपड़ा

अपने बूते लड़ेंगे चुनाव : शीला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 फरवरी।

कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में अपने ही बलबूते चुनावी मैदान में उतरेगी। शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने यह बयान दिया। शीला दीक्षित के इस बयान के बाद आम चुनाव में कांग्रेस व आम आदमी पार्टी (आप)के गठबंधन की अटकलों पर विराम लग गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के एलान के साथ ही दिल्ली में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों पर फैसला लेगी, इसके लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है।

'आप' के कामकाज को लेकर शीला दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस आगामी चुनाव में 'आप' और भाजपा दोनों को निशाना बनाएगी और इनकी नीतियों से जनता को भी अवगत कराएगी। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की स्थिति के अनुसार ही अपनी रणनीति बनाएंगे, जिस पर तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहां पर चेहरों का चयन एक प्रक्रिया के तहत होता है। इस प्रक्रिया का पालन करते हुए नामों का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से चेहरों को चिन्हित करने के बाद पार्टी आलाकमान उस पर आखिरी फैसला लेगी। चुनाव के एलान से पहले कांग्रेस के सभी चेहरे आम जनता के सामने होंगे।

शीला दीक्षित ने कहा कि दिल्ली में 'आप' सरकार अब तक शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अधिक काम करने का दावा करती है।

- 'आप' से किसी भी समझौते से साफ इनकार
- विधानसभा चुनाव में 'आप' ने कांग्रेस को पहुंचाया था सबसे अधिक नुकसान

उन्होंने कहा कि 'आप' केवल प्रचार के बूते माहौल तैयार कर रही है। जमीनी हकीकत पहले से और भी बदतर हुई है। 'आप' ने स्कूलों को चमकाने के दावे को भी केवल रंग रोगन से जोड़ा है। दीक्षित का कहना था कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में शिक्षा का स्तर हर बार बेहतर हुआ था। इस स्तर के सुधार को कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आंकड़ों से साबित किया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि आखिरी कार्यकाल में कुछ खामियां रही थीं, जो जनता को पंसद नहीं आईं, लेकिन अब हालात बदले हैं। 'आप' सरकार के कार्यकाल के बाद जनता को महसूस होने लगा है कि केवल कांग्रेस ही दिल्ली की बेहतरी के लिए कार्य कर सकती है। उन्होंने कहा कि 'आप' ने सत्ता में आने से पहले बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया है।

समकालीन कवियों का पाठ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 फरवरी।

लिखावट और रामानुजन कॉलेज के हिंदी विभाग की साझीदारी में समकालीन कवियों का काव्य पाठ आयोजित किया गया।

मिथिलेश श्रीवास्तव ने 'ईश्वर', 'पुतले पर गुस्सा', 'बाजार के खिलाफ' और 'रामकथा' कविताओं के माध्यम से शहरी भारत की विडंबना को जाहिर किया। दिविक रमेश ने 'हंसी' कविता में हंसने के मायने को युगीन संदर्भों से जोड़कर देखा। सुभाष राय की कविता 'आज की गीता' में संविधान के साथ खिलवाड़ पर तंज किया गया। विमल कुमार ने अपनी कविताओं में बदलते देश के प्रति चिंता जाहिर की। उपेंद्र कुमार ने 'संविधान से बाहर एक जरूरी बहस' और 'खेल' जैसी कविताओं द्वारा चुनावी राजनीति की विसंगति पर अपनी चिंता जताई। विनोद कुमार सिन्हा ने गजल सुनाई। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसपी अग्रवाल ने कहा कि महाविद्यालय में कविता के ऐसे कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को भी नया कुछ रचने की प्रेरणा मिलती है। नीरज कुमार मिश्र ने बताया कि 'लिखावट' कविता के प्रचार-प्रसार और कविता के संप्रेषण के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है।

शमशेर पुरस्कार का एलान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 फरवरी।

कवि शमशेर बहादुर सिंह की स्मृति में स्थापित शमशेर सम्मान साल 2017 और साल 2018 के लिए क्रमशः कविता के लिए स्वपनिल श्रीवास्तव, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश व कवि अशोक शाह, भोपाल एवं सर्जनात्मक गद्य के लिए क्रमशः आलोचक अजय तिवारी, दिल्ली व साहित्यकार सुधीर सक्सेना, भोपाल को दिया गया है। सम्मान समारोह भारत भवन, भोपाल में मार्च में आयोजित किया जाएगा।

युवती ने सहकर्मी पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 फरवरी।

एक जानी-मानी कंपनी में काम करने वाली 36 साल की महिला ने अपने सहकर्मी पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़, दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि रवि सैनी नामक सहकर्मी ने उसके साथ गलत व्यवहार किया और कार्यस्थल पर मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया। यही नहीं आरोपी रवि सैनी के साथ पीड़िता एक बार दफ्तर के काम से कांफ्रेंस में शामिल होने के लिए मुंबई गई थी, जहां पर आरोपी ने उसके साथ होटल में शारीरिक संपर्क बनाने का दबाव डाला। फिलहाल पीड़िता ने इस संबंध में ओखला और मालवीय नगर थाना पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत में आरोपी के खिलाफ यौन उत्पीड़न, मारपीट और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

पीड़िता ओखला औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ी कंपनी में काम करती है। पीड़िता का आरोप है कि रवि सैनी ने उसके साथ कई बार गलत व्यवहार किया और शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। उसने आरोप लगाया कि दफ्तर के काम से एक कांफ्रेंस में मुंबई गई थी। उस दौरान उसे एक पांच सितारा होटल में टहराया गया था, जबकि अन्य कर्मचारियों को तीन सितारा होटल में ठहराया गया था। इस दौरान रवि सैनी ने उसे कहा था कि अगर पांच सितारा होटल में रहना है तो उसे खुश करना पड़ेगा। साथ ही शारीरिक संबंध बनाने का दवाब डाला था। आरोपी बार-बार नोएडा स्थित दफ्तर बुलाता और वहां पर पीड़िता को प्रताड़ित करता। पीड़िता का आरोप है कि दफ्तर में अकेला पाकर वह उसके साथ गलत व्यवहार करता था।

पीड़िता का आरोप है कि जब इस संबंध में दफ्तर के आला अधिकारियों से शिकायत की गई तो उस पर ही दफ्तर से त्यागपत्र देने का दवाब डाला गया, जबकि आरोपी रवि सैनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। थक-हार कर पीड़िता ने इस बाबत बीती 28 जनवरी को ओखला और मालवीय नगर थाना पुलिस से शिकायत की है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

मेट्रो के नाम पर बजट में धोखा किया केंद्र ने : उपमुख्यमंत्री

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 फरवरी।

मेट्रो पर दिल्ली सरकार व केंद्र की रार बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने बजट में मेट्रो के चौथे चरण के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान नहीं किया है। इस मामले में शनिवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेट्रो के लिए धनराशि का प्रावधान नहीं कर केंद्र सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि मेट्रो के चौथे चरण के लिए दिल्ली सरकार ने गंभीरता से अध्ययन किया है। इस अध्ययन की वजह से इस चरण के निर्माण लागत में 10 हजार करोड़ रुपए की कमी आई है। इस कमी के बाद भी केंद्र सरकार इस बार के बजट में मेट्रो को भूल गई है। दिल्ली सरकार को उम्मीद थी कि दिल्ली वालों की परिवहन सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सांसद इस मसले को आगामी सत्र में उठाएंगे।

SpiceJet

SpiceJet Limited

CIN: L51909DL1984PLC288239

Regd. Office: Indira Gandhi International Airport, Terminal 1D, New Delhi-110 037

Website: www.spicejet.com; email: investors@spicejet.com; T: +91 124 3913939; F: +91 124 3913844

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 11th day of February, 2019 to consider and approve, inter-alia, the un-audited standalone financial results of the Company for the third quarter ended December 31, 2018.

The notice to the stock exchange communicating the above is available on the website of the stock exchange where the shares of the Company are listed viz. www.bseindia.com and on the Company's website viz. www.spicejet.com.

For SpiceJet Limited
Sd/-
Chandan Sand
Sr. VP (Legal) & Company Secretary

Date : February 1, 2019
Place : Gurgaon

दिल्ली विकास प्राधिकरण

प्रचलित

ऑनलाइन आवासीय योजना-2019

(आवासीय योजना-2017 की पुरानी सम्पत्ति सूची) पहले आओ पहले पाओ आधार पर

फ्री होल्ड आधार पर दि.वि.प्रा. के फ्लैटों के आवंटन हेतु

अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के कारण, दि.वि.प्रा. लोकनायक पुरम में और अधिक एक बेड-रूम फ्लैटों तथा सैक्टर-4, रोहिणी में जनता फ्लैटों को शामिल कर रहा है। इसके लिए आय का कोई मानदंड नहीं है और आवेदक अपनी आवश्यकता एवं वहनीय क्षमता के अनुसार आवेदन कर सकता है। ये फ्लैट्स 7 फरवरी, 2019 को अपराह्न 15.00 बजे से ऑनलाइन बुकिंग हेतु उपलब्ध रहेंगे। अन्य स्थानों पर ऑनलाइन बुकिंग हेतु फ्लैट्स अभी भी उपलब्ध हैं।

- आवेदक किसी विशिष्ट फ्लैट का ऑनलाइन चयन कर सकता/सकती है और उन्हें अप्रतिदेय आवेदन राशि ऑनलाइन जमा करने के लिए 30 मिनट का पर्याप्त समय दिया जाएगा। इन 30 मिनट के दौरान चुना गया फ्लैट दूसरों के द्वारा चयन हेतु उपलब्ध नहीं होगा।
- आवेदन राशि का एक बार भुगतान कर दिए जाने पर फ्लैट को उस आवेदक के लिए सुरक्षित रख दिया जाएगा और मांग एवं आबंटन पत्र तीन महीने के अंदर अपेक्षित राशि जमा करने के लिए आवेदक को भेजा जाएगा।
- विस्तृत निबंधन और शर्तें, पात्रता मानदंडों तथा स्कीम में आवेदन करने के लिए कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in हॉटलिंक्स-ऑनलाइन आवासीय योजना 2019 देखें।

यह स्कीम दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in पर देखकर "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदन राशि निम्नानुसार होगीः

जनता फ्लैट हेतुः 10,000/- रुपये

एक बेड-रूम फ्लैट हेतुः 15,000/- रुपये

कृपया Google play के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें | @ddaofficial @official_dda

कृपया दि.वि.प्र. की वेबसाइट www.dda.org.in देखें या टोल फ्री नं. 1800-110332 डायल करें।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

[नियम 8(6) का प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

रजौरी गार्डन शाखा, जे-13/2, पटेल मार्केट, रजौरी गार्डन, फोन नं.: 011-25936841, 011-25457788, ईमले-rajaurigarden@unionbankofindia.com

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री की लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर(रों) से बकाये राशि की वसूली के लिये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जे में ली गई प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति की 'जैसा है जहाँ है,'' ''जो भी वहाँ है'' तथा ''जो भी जैसा है'' आधार पर 21.2.2019 (गुरुवार) को बिक्री की जायेगी। नीलामी का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	ऋणधारक/गारन्टरों का नाम	सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण	बकाया ऋण	आरक्षित मूल्य / ईएमडी-10% / बोली बृद्धि राशि
1.	सुश्री नैना, पत्नी श्री गुलशन नागपाल, निवासीः डी-9, 2रा तल ब्लॉक डी, सुभाष पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली-110059 तथा गारन्टरः सुश्री शशि, निवासीः डी-9, 2रा तल ब्लॉक डी, सुभाष पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली-110059	सुश्री नैना, पुत्री श्री गुलशन नागपाल के नाम में स्टेट कॉलोनी, नानकपुरा के नाम से विदित, हरिनगर, क्लॉक-टावर, नई दिल्ली-110064 में स्थित डब्ल्यूजेड-429, प्लॉट नं. 13, खसरा नं.-2077, भूतल एवं प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के) माप 50 वर्ग यार्ड्स में आवासीय मकान की अचल सम्पत्ति चौहद्दीः उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः कॉमन पैसेज एवं सड़क, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति।	20.6.2017 को रु. 53,02,512/-	रु. 1820000/- / रु. 182000/-
2.	श्रीमती रणजीत कौर तथा श्री कँवलदीप सिंह, निवासीः ए-81, फ्लोर, बैक साइड, खसरा नं. 617 का भाग, ग्राम-तिहाड़, आशा पार्क, जेल रोड, नई दिल्ली-110018	श्रीमती रणजीत कौर तथा श्री कंवल दीप सिंह के नाम में ग्राम-तिहाड़, आशा पार्क, जेल रोड, नई दिल्ली-110018 में स्थित अचल सम्पत्ति, ए-81, फ्लोर, बैक साईड, खसरा नं. 617 का भाग, माप 88 वर्ग यार्ड्स। चौहद्दीः उत्तरः फ्रान्ट साइड पोर्शन (फ्लैट), दक्षिणः सर्विस लेन, पूर्वः प्लॉट नं. ए-82, पश्चिमः सीढ़ी/सड़क	30.3.2017 को रु. 5057327/-	रु. 3500000/- / रु. 350000/-

नियम एवं शर्तें

1. इच्छुक बोलीदाता को 18.2.2019 के 4.00 बजे अप. तक आरटीजीएस (खाता नं. 435601980050000, आईएफएससी कोडः UBIN0543560) के माध्यम से ईएमडी जमा करना होगा।
2. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) बिक्री राशि के भाग के रूप में सुरक्षित रख ली जायेगी तथा असफल बोलीदाता को वापस लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर पूर्व प्रदत्त ईएमडी समायोजित करने के बाद 25% बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा तथा शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान बिक्री के 15वें दिन या पूर्व अथवा प्राधिकृत अधिकारी की एकाकी इच्छा पर लिखित में विस्तारित स्वीकृत अवधि में किया जायेगा। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक करने पर प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता का सम्पत्ति/राशि के प्रति कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
3. इच्छुक क्रेता द्वारा सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समयः सभी सम्पत्ति के लिये 16.2.2019 को 1.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. तक।
4. बैंक की जानकारी में सम्पत्ति पर अधिभारों का विवरणः बैंक को ज्ञात नहीं
5. सभी सम्पत्तियों के लिये ईएमडी के साथ बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 18.2.2019 के 4.00 बजे अप. तक।
6. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये बैंक की वेबसाईट unionbankofindia.co.in देखें। बोलीदाता सेवा प्रदाता में 4 क्लोजर, सम्पर्क व्यक्ति श्री विकास (एम) 08142000809/08142000067/1/3/6 (एम) टेलीः 040-238 36 405, फैक्स नं.: 040-23836405, बैंक के सम्पर्क व्यक्तिः श्री संजय भार्गव, मोबाईल नं. 9971802732 की वेबसाईट https://www.bankeauctions.in भी देख सकते हैं।
7. बिक्री के नियम एवं शर्तें पूरी तरह से प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के प्रावधानों के अनुसार होंगे। नीलामी के विवरणों को सुनिश्चित करने तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये इच्छुक बोलीदाता उपरोक्त तिथि को प्राधिकृत अधिकारी, विनोद कुमार, मोबाईल नं. 8800886547 से सम्पर्क करें।

उपरोक्त तिथि को ई-नीलामी बिक्री के आयोजन के विषय में उपरोक्त ऋण के ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर (रों) के लिये प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत इसे सूचना मानी जाये।

तिथिः 1.3.2019, स्थानः दिल्ली | प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

तमसो मा ज्योतिर्गमय

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

(टोल टैक्स विभाग)

14वां तल, डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिन्टो रोड, जेएलएन मार्ग, नई दिल्ली-110002

सं. एडीसी/टीटी/एचक्यू/2019/डी-86

सार्वजनिक सूचना

पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) ने यह सूचना जारी करने के निर्देश दिये हैं कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2015, 22 अगस्त, 2016 और 28 अगस्त, 2017 के तहत निम्नलिखित प्रकार के वाहन, जिन्हें ईसीसी का भुगतान करने से छूट दी गई है, उन्हें अब से केवल आरएफआईडी टैग के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन के बाद ही छूट मिलेगी।

1. सीएनजी वाहन (जिसके आरसी में यह दर्शाया गया हो कि वह सीएनजी वाहन है)
2. दूध टैंकर
3. पेट्रोलियम उत्पाद ढोने वाले तेल टैंकर
4. पानी के टैंकर
5. एम्बुलेंस
6. अग्निशमन वाहन

इसी प्रकार, निम्नलिखित सामान ढोने वाले किसी भी श्रेणी के सभी वाणिज्यिक वाहन, उपरोक्त आदेश के अंतर्गत ईसीसी का भुगतान करने से छूट है, उन्हें केवल आरएफआईडी टैग के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन के बाद ही छूट मिलेगी।

1. अंडे
2. नमक
3. बर्फ
4. खाद्यान्न
5. सब्जियां
6. पैक्ड दूध

किसी भी कार्यरत टोल प्लाजा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी खाली वाणिज्यिक वाहन, उपरोक्त आदेश के अंतर्गत आधे ईसीसी भुगतान करने के पात्र हैं, उन्हें केवल आरएफआईडी टैग के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन के बाद ही आधे ईसीसी का भुगातन करने की सुविधा मिलेगी।

दिल्ली के निम्नलिखित कार्यरत टोल प्लाजाओं पर प्री-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है।

क्र.सं.	स्थान
1.	आया नगर
2.	डीएनडी फ्लाईवे
3.	शाहदरा मेन
4.	शाहदरा फ्लाईओवर
5.	टिकरी बार्डर
6.	कापसहेड़ा बार्डर
7.	रजोकरी बार्डर
8.	कुंडली बार्डर

सभी 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा और उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सहायक आयुक्त
(टोल टैक्स)

आरओ सं.: 185/डीपीआई/एस/2018-19